ज्ञापांक 30 /गो0

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 06.03.2018

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित),
बिहार।

विषय :– जन–सम्पर्क एवं छवि सुधार के संबंध में।

पुलिस जनता के बीच में काम करती है अतः जन सहयोग प्राप्त करने एवं पुलिस छवि में सुधार करने के लिए सकारात्मक जनसम्पर्क अत्यावश्यक है। जनता की मददगार पुलिस की छवि निर्माण करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है। कृपया तत्काल प्रभाव से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

1. वरीय स्तर पर जन शिकायत सुनने के अतिरिक्त पूर्व से निर्गत आदेश के आलोक में प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर थाना प्रभारी तथा अंचल अधिकारी द्वारा नियमित ढंग से भू–विवाद एवं अन्य मामलों की सुनवाई की जाय, इन्हें सूचीबद्ध किया जाय और निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उनका निष्पादन किया जाय।
2. डायल 100 व्यवस्था को दुरूस्त रखें और जनता के बीच प्रचारित करें। शिकायत आने पर उनका शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन करें।

   इसी प्रकार बिहार पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 18603456999, 8544428408, 8544428407, 0612 2209999 को अधिक से अधिक प्रचारित किया जाय। इन नम्बरों से प्राप्त शिकायतों का अभिलेख संधारित करें और समय सीमा के अंतर्गत समस्या का निस्तारण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. इंडिया पुलिस एप के बारे में जनता को जानकारी दी जाय और इस माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर भी यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय।
4. ग्रामीण पुलिस–चौकीदार दफादारों की परेड नियमित रूप से करायी जाय। जिसमें कभी–कभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा वरीय अधिकारी भी भाग लें। परेड पर चौकीदार दफादारों को महत्वपूर्ण नीति निर्देशों से अवगत कराया जाय तथा अपराध नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया जाय। शराब बंदी/बाल–विवाह/दहेज–प्रथा विरोधी नीति से अवगत कराते हुए इस संबंध में आसूचना संकलन करने हेतु प्रेरित किया जाय।
5. पारपत्र, चरित्र सत्यापन, शस्त्र अनुज्ञप्ति के संबंध में सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अंदर पारदर्शी ढंग से किया जाय ताकि भ्रष्टाचार की शिकायत न आए।
6. थाना में ऐसी व्यवस्था रखें कि जन साधारण थाना में आकर अपनी समस्या रख सकें। उन्हें किसी मध्यस्थ की सहायता नहीं लेनी पड़े।
7. थाना में दलाल प्रकृति के या ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय नहीं दिया जाय जिनकी समाज में छवि खराब हो। इस निमित थाने में सी0सी0टी0वी0 कैमरा सदैव चालू हालत में रखा जाय और यदा–कदा वरीय अधिकारी उसके फुटेज देखते रहें।

'<dgpcr.pa

8. थाना, निरीक्षक कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालयों में शिकायत पेटी स्थापित करें। यह ऐसे स्थान पर हो कि कोई भी व्यक्ति बिना झिझक अपना आवेदन उसमें डाल सके। प्रतिदिन नियत समय पर शिकायत पेटिका को पारदर्शी ढंग से खोला जाय और प्राप्त शिकायत/सूचनाओं को ईमानदारी से सूचीबद्ध किया जाय, भले हीं पुलिस के खिलाफ शिकायत हो। प्राप्त शिकायत और सूचना/आसूचना पर निष्ठापूर्वक अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
9. पिछड़े क्षेत्र एवं कम पढ़े–लिखे ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं, नीतियों के बारे में जानकारी दी जाये तथा अन्य विभागों यथा राजस्व विभाग, पेंशन, पी0डी0एस0 आदि से संबंधित कार्यों में उनकी मदद की जाय।
10. SRE जिलों तथा अन्य स्थानों पर जहाँ Civic Action Programme के लिए निधि उपलब्ध हो मेडीकल कैम्प, खेल कूद प्रतियोगिताओं, स्कूली किताबों का वितरण, वोकेशनल प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय।
11. जनता के साथ शिष्ट एवं मृदु व्यवहार करें यदि किसी का कार्य होने लायक न हो तथापि व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए।
12. महिलाओं और बच्चों के साथ शालीनता से पेश आएँ और मानव अधिकारों का सदैव सम्मान किया जाय।
13. गोपनीय सूचना/आसूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम गोपनीय रखा जाय।

इस विषय में अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) नोडल पदाधिकारी होंगे। वे कृपया इन विषयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए मोनिटरिंग करेंगे और मासिक अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

6/3/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक एवं उप–महानिरीक्षक स्तर के सभी पदाधिकारियों को कृपया सूचनार्थ।

2. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

6/3/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।